पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2015 ई0 (भाद्रपद 21, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–37

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	591–614	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	607–616	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	235–240	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

समाज कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

17 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 1185/XVII–2/2015–104(म0क0)/2001 TC–2–किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण), नियम, 2007 के नियम–91 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–758/XVII–2/15–104(म0क0)/2001, दिनांक 22 मई, 2015 द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति में श्रीमती गजाला जबी, सदस्य, राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को चयन समिति का सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव।

सैनिक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

01 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 800/XVII–5/15–13(5)अर्द्ध सै0/2015–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा–11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् जिला पिथौरागढ़ के ग्राम मिलम, परगना जौहार, तहसील मुनस्यारी में 14वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0 बल, की अग्रिम चौकी मुख्यालय की स्थापना हेतु ग्राम मिलम की 2.4980 है0 भूमि की आवश्यकता है।

चूँकि, धारा–40 के अधीन आत्यायिकता उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम, 2013 की धारा–9 के अनुसार समुचित सरकार में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है। अतएव अब श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश देते हैं, कि यद्यपि धारा–40 के अधीन कोई अभिनिर्णय/आदेश नहीं दिया गया है तथापि श्री राज्यपाल महादेय उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा–40 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अनुसार विज्ञप्ति अधिसूचित की जाती है:–

अनुसूची

जिला	परगना	मौजा	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (है0)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पिथौरागढ़	मल्ला जौहार	मिलम	1351	0.0190	
			1352	0.0150	
			1353	0.0210	
			1354	0.0290	
			1355	0.0250	
			1356	0.0190	
			1357	0.0290	
			1358	0.0330	

1	2	3	4	5	6
पिथौरागढ़	मल्ला जौहार	मिलम	1359	0.0160	
			1360	0.0330	
			1361	0.0260	
			1362	0.0230	
			1363	0.0110	
			1364	0.0090	
			1365	0.0100	
			1366	0.0210	
			1367	0.0350	
			1368	0.0290	
			1369	0.063	
			1370	0.0090	
			1371	0.0090	
			1372	0.0090	
			1373	0.0080	
			1385	0.0790	
			1386	0.0450	
			1387	0.0860	
			1388	0.0840	
			1391	0.0560	
			1392	0.0450	
			1393	0.0630	
			1394	0.0650	
			1396	0.1330	
			1397	0.1490	
			1407	0.1030	
			1408	0.0780	
			1409	0.0630	
			1410	0.0580	
			1411	0.0760	
			1412	0.0190	
			1413	0.0160	
			1414	0.0300	
			1415	0.0360	
			1416	0.0310	
			1417	0.0460	
			1418	0.0750	
			1419	0.0790	
			1420	0.0530	
			1421	0.0540	
			1429	0.0560	

1	2	3	4	5	6
पिथौरागढ़	मल्ला जौहार	मिलम	1430	0.1010	
			1431	0.0260	
			1432	0.0190	
			1433	0.0190	
			1434	0.0480	
			1446	0.1060	
		योग . .	55	2.4980	

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **no. 800/XVII-5/15-13(5) Paramilitary/2015 Dehradun,** dated August 01, 2015 for general information :

NOTIFICATION

August 01, 2015

No. 800/XVII-5/15-13(5) अर्द्ध सै0**/2015--**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to notify for general information that he is satisfied that the land mentioned in Schedule below is needed for public purpose, namely for construction of the BOP Head Quarters for 14th Bn. ITBP Pithoragarh at village Milam in Pargana Johar, tehsil Munsiyari, Distt. Pithoragarh.

2. WHEREAS conferring the power under sec 40 of the said Act, 2013, keeping in mind the urgency and necessity in accordance with section 9, fixation of rate by study with public opinion is exempted. Now, therefore the Governor, is of the opinion that the matter is urgent in nature, so directed under sub-section (1) of section 11 of the said act, that though no award/order has not been issued, under section 40 however the Governor is hereby pleased to notify with prescribed declaration of the mentioned land in the following schedule in subsection (1) of section 40 of the said public purpose according sub-section (1) of section 11 of the said Act.

SCHEDULE

DISTRICT	PARAGANA	MAUZA	PLOT NO.	AREA (HAC.)	DESCRIPTION
1	2	3	4	5	6
PITHORAGARH	MALLA	MILAM	1351	0.0190	
	JOHAR		1352	0.0150	
			1353	0.0210	
			1354	0.0290	
			1355	0.0250	
			1356	0.0190	
			1357	0.0290	
			1358	0.0330	

1	2	3	4	5	6
PITHORAGARH	MALLA	MILAM	1359	0.0160	
	JOHAR		1360	0.0330	
			1361	0.0260	
			1362	0.0230	
			1363	0.0110	
			1364	0.0090	
			1365	0.0100	
			1366	0.0210	
			1367	0.0350	
			1368	0.0290	
			1369	0.063	
			1370	0.0090	
			1371	0.0090	
			1372	0.0090	
			1373	0.0080	
			1385	0.0790	
			1386	0.0450	
			1387	0.0860	
			1388	0.0840	
			1391	0.0560	
			1392	0.0450	
			1393	0.0630	
			1394	0.0650	
			1396	0.1330	
			1397	0.1490	
			1407	0.1030	
			1408	0.0780	
			1409	0.0630	
			1410	0.0580	
			1411	0.0760	
			1412	0.0190	
			1413	0.0160	
			1414	0.0300	
			1415	0.0360	
			1416	0.0310	
			1417	0.0460	
			1418	0.0750	
			1419	0.0790	
			1420	0.0530	
			1421	0.0540	
			1429	0.0560	

1	2	3	4	5	6
PITHORAGARH	MALLA JOHAR	MILAM	1430	0.1010	
			1431	0.0260	
			1432	0.0190	
			1433	0.0190	
			1434	0.0480	
			1446	0.1060	
		TOTAL . .	55	2.4980	

NOTE--Area of the land and other details may be inspected by the interested person in the office of Collector, Pithoragarh

अधिसूचना

01 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 801/XVII–5/15–13(6)अर्द्ध सै0/2015–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा–11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ अर्थात् ग्राम बूंदी, पट्टी गुंजी, तहसील धारचूला, जिला पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल 11वीं वाहिनी, डीडीहाट की सीमा चौकी मुख्यालय लामारी की स्थापना हेतु 0.1280 है0 भूमि की आवश्यकता है।

चूँकि, धारा–40 के अधीन आत्यायिकता उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम, 2013 की धारा–9 के अनुसार समुचित सरकार में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है। अतएव अब श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यकता है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश देते हैं, कि यद्यपि धारा–40 के अधीन कोई अभिनिर्णय/आदेश नहीं दिया गया है तथापि श्री राज्यपाल महादेय उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा–40 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अनुसार विज्ञप्ति अधिसूचित की जाती है:–

अनुसूची

जिला	परगना	मौजा	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (है0)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पिथौरागढ़	दारमा	बुद्धी	3806 M	0.0400	
			3807 M	0.0400	
			3815	0.0130	
			3817	0.0240	
			3818	0.0110	
		योग	05	0.1280	

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **no. 801/XVII-5/15-13(6) Paramilitary/2015 Dehradun,** dated August 01, 2015 for general information :

NOTIFICATION

August 01, 2015

No. 801/XVII-5/15-13(6) अर्द्ध सै0/2015--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to notify for general information that he is satisfied that the land mentioned in Schedule below is needed for public purpose, namely for construction of the BOP Lamari Head Quarters for 11th Bn.SSB, Didihat at village Bundi, Patti Gunji, tehsil Dharchula, Distt. Pithoragarh.

2. WHEREAS conferring the power under sec 40 of the said Act, 2013, keeping in mind the urgency and necessity in accordance with section 9, fixation of rate by study with public opinion is exempted. Now, therefore the Governor, is of the opinion that the matter is urgent in nature, so directed under sub-section (1) of section 11 of the said act, that though no award/order has not been issued, under section 40 however the Governor is hereby pleased to notify with prescribed declaration of the mentioned land in the following schedule in subsection (1) of section 40 of the said public purpose according sub-section (1) of section 11 of the said Act :

SCHEDULE

DISTRICT	PARAGANA	MAUZA	PLOT NO.	AREA (HAC.)	DESCRIPTION
1	2	3	4	5	6
PITHORAGARH	DARMA	BUTHI	3806 M	0.0400	
			3807 M	0.0400	
			3815	0.0130	
			3817	0.0240	
			3818	0.0110	
		TOTAL	05	0.1280	

NOTE--Area of the land and other details may be inspected by the interested person in the office of Collector, Pithoragarh.

अधिसूचना

05 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 512/XVII–5/15–13(7)अर्द्ध सै0/2015–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा–11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् जिला पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल 11वीं वाहिनी, डीडीहाट की सीमा चौकी बूंदी की स्थापना हेतु 0.6480 है0 भूमि की आवश्यकता है।

चूँकि, धारा–40 के अधीन आत्यायिकता उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम, 2013 की धारा–9 के अनुसार समुचित सरकार में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है। अतएव अब श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा–40 के अधीन कोई अभिनिर्णय/आदेश

नहीं दिया गया है तथापि श्री राज्यपाल महोदय उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा–40 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अनुसार विज्ञप्ति अधिसूचित करते हैं:–

अनुसूची

जिला	परगना	मौजा	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (है0)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पिथौरागढ़	दारमा	बूंदी	3539	0.033	
			3540	0.071	
			3541	0.046	
			3542	0.039	
			3543	0.066	
			3544	0.008	
			3545	0.021	
			3546	0.029	
			3547	0.026	
			3548	0.060	
			3549	0.006	
			3550	0.048	
			3551	0.063	
			3552	0.058	
			3553	0.060	
			3554	0.014	
		योग . .	16	0.648	

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **no. 512/XVII-5/15-13(7) Paramilitary/2015 Dehradun,** dated August 05, 2015 for general information :

NOTIFICATION

August 05, 2015

No. 512/XVII-5/15-13(7) अर्द्ध सै0**/2015**--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to notify for general information that he is satisfied that the land mentioned in Schedule below is needed for public purpose, namely for construction of the BOP Head Quarters for 11th Bn.SSB, Didihat at Bundi, Patti Gunji, tehsil Dharchula, Distt. Pithoragarh.

2. WHEREAS conferring the power under sec-40 of the said Act, 2013, keeping in mind the urgency and necessity in accordance with section 9, fixation of rate by study with public opinion is exempted. Now, therefore the Governor, is of the opinion that the matter is urgent in nature, so directed under sub-section (1) of section 11

of the said act, that though no award/order has not been issued, under section 40 however the Governor is hereby pleased to notify with prescribed declaration of the mentioned land in the following schedule in subsection (1) of section-40 of the said public purpose according sub-section (1) of section-11 of the said Act :

SCHEDULE

District	Paragana	Mauza	Plot no.	Area (Hac.)
1	2	3	4	5
Pithoragarh	Darma	Bundi	3539	0.033
			3540	0.071
			3541	0.046
			3542	0.039
			3543	0.066
			3544	0.008
			3545	0.021
			3546	0.029
			3547	0.026
			3548	0.060
			3549	0.006
			3550	0.048
			3551	0.063
			3552	0.058
			3553	0.060
			3554	0.014
		Total . .	16	0.648

NOTE--Area of the land and other details may be inspected by the interested person in the office of Collector, Pithoragarh.

By Order,
OM PRAKASH,
Principal Secretary.

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना / नियुक्ति

01 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 1105 / XXVIII–3–2015–133 / 2007–श्री राज्यपाल महोदय, इस सम्बन्ध में निर्गत समस्त अधिसूचनाओं और शासनादेशों का अधिक्रमण करते हुए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23, वर्ष 1940) की धारा–20 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रयोजनार्थ श्री राजीव शर्मा, लोक विश्लेषक (खाद्य), जिनकी शैक्षिक योग्यता लोक विश्लेषक के लिए विहित योग्यता के अनुरूप है, को नितान्त काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक के लिए खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर में उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्रान्तर्गत समस्त एलोपैथिक औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री के परीक्षण / विश्लेषण हेतु उनके पद के अतिरिक्त लोक विश्लेषक के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23, वर्ष 1940) की धारा–20 की उपधारा (4) के अधीन यह भी घोषणा करते हैं कि श्री राजीव शर्मा, लोक विश्लेषक (खाद्य) का औषधि अथवा प्रसाधन सामग्री के आयात, विनिर्माण अथवा बिक्री में कोई वित्तीय हित समाहित नहीं है।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **no. 1105/XXVIII-3-2015-133/2007,** dated August 01, 2015 for general information :

NOTIFICATION

APPOINTMENT

August 01, 2015

No. 1105/XXVIII-3-2015-133/2007--In exercise of the powers conferred by section-21 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act no. 10 of 1897) read with section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act no. 23 of 1940) and for the purposes of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 with Supersession of all notification and Government Orders issued in this behalf, the Governor is pleased to appoint as a Government Analyst to Shri Rajiv Sharma, Government Analyst (Food) in addition of his post whose educational qualification is according prescribe qualification for Government Analyst for further orders under the caretaker management for Trial/Analysis of Allopathic Durgs and Cosmetics within the jurisdiction of the State of Uttarakhand at Food and Drugs laboratory, Rudrapur.

2. The Governor is also pleased to declare under subsection (4) of section-20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act no. 23 of 1940) that Shri Rajiv Sharma, Government Analyst (Food) has no financial interest in the import, manufacture or sale of Drugs or Cosmetics.

By Order,
OM PRAKASH,
Principal Secretary.

अधिसूचना
प्रकीर्ण / शुद्धिपत्र

19 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 1327 / XXVIII–3–2015–133 / 2007–श्री राजीव शर्मा, लोक विश्लेषक(खाद्य), राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर को औषधि नमूनों के परीक्षण कार्यों हेतु अधिकृत किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या 1105 / XXVIII–3–2011–133 / 2007, दिनाँक 01.08.2015 के प्रस्तर–1 में अंकित "अग्रिम आदेशों तक के लिए खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर में उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्रान्तर्गत समस्त एलोपैथिक औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री के परीक्षण / विश्लेषण हेतु उनके पद के अतिरिक्त लोक विश्लेषक के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं", को निम्नवत् पढ़ा जायः–

> 'अग्रिम आदेशों तक के लिए खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर में उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्रान्तर्गत समस्त एलोपैथिक औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री के परीक्षण / विश्लेषण हेतु उनके पद के अतिरिक्त राजकीय विश्लेषक (औषधि) के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।'

2. उक्त अधिसूचना संख्या 1105 / XXVIII–3–2015–133 / 2007, दिनाँक 01.08.2015, को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष नियम यथावत् रहेंगे।

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1
कार्यालय ज्ञाप
10 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 2733/X–1–2015–04(18)/2009–श्री राज्यपाल महोदय, वन विभाग के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम–4(2) के द्वितीय परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वेतनमान ₹ 67,000–79,000 के छः पद अस्थायी रूप से, जो किसी पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय समाप्त किये जा सकते हैं, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्तानुसार सृजित छः पदों में से दो पदों के सापेक्ष मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान ₹ 37,400–67,000+ग्रेड पे ₹ 10,000) के दो पद आस्थगित किये जाते हैं। उक्त आस्थगित पदों के सापेक्ष सृजित अपर प्रमुख वन संरक्षक के दो पद मात्र उस अवधि के लिए सृजित रहेंगे जब तक कि उक्त पदों पर प्रोन्नत/नियुक्त अधिकारी प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उन पदों को रिक्त नहीं करते हैं। तद्नुसार पद रिक्त होने पर ये पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे तथा उनके स्थान पर आस्थगन में रखे गये मुख्य वन संरक्षक के पद पुनर्जीवित हो जायेंगे।

कार्यालय ज्ञाप
12 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 2849/X–1–2015–04(18)/2009–भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अपर प्रमुख वन संरक्षक वेतनमान (₹ 67,000–79,000, ग्रेड पे शून्य में), के पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच वर्ष
1.	श्री परमजीत सिंह	1985
2.	श्री गंभीर सिंह	1986

2. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

स्थानान्तरण/तैनाती आदेश
01 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 2703/X–1–2015–14(10)/2014–भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम–2 में उल्लिखित पद से कॉलम–3 में उल्लिखित पद पर स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान तैनाती	एतद्द्वारा तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	श्री अशोक महर, वन वर्धनिक साल, हल्द्वानी	उप निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी	श्री आर0सी0 शर्मा के स्थान पर
2.	सुश्री नीतू लक्ष्मी एम0, प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, केदारनाथ	श्री आकाश वर्मा के स्थान पर
3.	श्री सी0के0 कविदयाल, प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	श्री राजीव धीमान के स्थान पर
4.	श्री राजीव धीमान, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग	श्री सी0के0 कविदयाल के स्थान पर
5.	श्री आकाश वर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, केदारनाथ	बाध्य प्रतीक्षा में	

2. उक्तानुसार स्थानान्तरित अधिकारीगण अपने नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार ग्रहण प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

22 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 2895/X–1–2015–14(09)/2014–डॉ0 श्रीकांत चन्दोला, भा0व0से0, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड (HoFF), देहरादून, जिनकी जन्मतिथि 11.10.1955 (ग्यारह अक्टूबर सन् उन्नीस सौ पचपन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.10.2015 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

सूचना अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

10 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 38/XXII/2015–34 (सूचना)2015–प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना विकास, शूटिंग स्थलों का निर्माण, फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार, पर्यटन के महत्व को बढ़ाने एवं क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र से पूँजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भः

(क) यह नीति उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 कहलायेगी।

(ख) यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. प्रस्तावनाः

उत्तराखण्ड राज्य के नैसर्गिक सौन्दर्य और मनोहारी लोक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में देश के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करने एवं देश–विदेश के फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से फिल्म नीति सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन गठित राज्य फिल्म विकास परिषद् द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। इस नीति में राज्य में निर्मित एवं प्रदर्शित होने वाली फिल्मों को मनोरंजन कर में छूट, अनुदान, फिल्म पुरस्कार–सम्मान, क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) जैसे विषयों का समावेश किया गया है।

3. उद्देश्यः

(क) नये शूटिंग स्थलों के सुनियोजित विकास तथा फिल्म सिटी की स्थापना करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करना।

(ख) फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को विभिन्न वित्तीय संस्थानों एवं निजी निवेश के माध्यम से विकसित करना।

(ग) स्थानीय युवाओं को फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में सम्यक् प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

(घ) क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

(ङ) फिल्म के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत एवं पुरातात्विक धरोहर आदि के महत्व को बढ़ाने के साथ–साथ इनका प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित करना।

4. रणनीतिः

(क) राज्य फिल्म विकास परिषद् की स्थापना करना।

(ख) फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति प्रक्रिया को एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से सुगम बनाना।

(ग) फिल्म निर्माण, प्रदर्शन एवं प्रक्रिया में अवस्थापना सुविधाओं, प्रशिक्षण आदि के सम्यक् विकास हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं करना।

(घ) विभिन्न वित्तीय संस्थानों/निजी पूँजी निवेशकों से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में वित्तीय सहयोग प्राप्त करना।

(ङ) पूँजी निवेश आकर्षित करना।

(च) सम्पूर्ण एवं सक्रिय प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना।

(छ) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों, जो फिल्मों के निर्माण, प्रदर्शन एवं विकास में योगदान दें, उनसे प्रभावी समन्वय करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।

5. परिभाषाएः

(क) फिल्मों की परिभाषा वही होगी, जो भारतीय सिनेमेटोग्रॉफी अधिनियम वर्ष, 1952 में दी गयी हों।

(ख) 'परिषद्' से "उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद्" अभिप्रेत है।

(ग) 'निधि' से "उत्तराखण्ड फिल्म विकास निधि" अभिप्रेत है।

(घ) 'सरकार/शासन' से "उत्तराखण्ड सरकार/शासन" अभिप्रेत है।

(ङ) कार्यकारी मण्डल से परिषद् का कार्यकारी मण्डल (Executive Board) अभिप्रेत है।

(च) लैब अथवा प्रयोगशाला से अर्थ एक या एक से अधिक ऐसे तकनीकी संस्थान जहाँ फिल्म प्रोसेसिंग/डिजिटल इमेजिंग/साउण्ड रिकार्डिंग/डबिंग/एडिटिंग/फिल्म एनिमेशन/ग्राफिक्स/स्पेशल इफैक्ट्स कार्य किये जाते हैं।

6. फिल्म व्यवसाय की स्थापनाः

फिल्मों के लिए एक विशिष्ट प्रकार की अवस्थापना की आवश्यकता होती है। राज्य द्वारा निजी तथा संयुक्त–क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थापना के सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा। निजी–क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थापना के उपलब्ध होने तक राज्य यथासम्भव विद्यमान समस्याओं को अपने प्रयासों से दूर करने का प्रयत्न करेगा। फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

(1) शूटिंग स्थलों का विकास/फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना,

(2) स्टूडियोज/लैब्स/उपकरण,

(3) पूँजी निवेश एवं भूमि चयन।

6(1). (i) शूटिंग स्थलों का विकास/फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापनाः

(क) प्रदेश में फिल्म उद्योग को स्थापित करने के लिए राज्य में चिन्हित स्थानों पर एक फिल्म सिटी की स्थापना हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(ख) फिल्म उद्योग के परामर्श से राज्य द्वारा प्रस्तावित फिल्म सिटी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। प्रदेश में विद्यमान सम्भावनाओं का पूर्ण दोहन सुनिश्चित करने के लिए राज्य फिल्म विकास परिषद् द्वारा स्वयं अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से एक सम्भाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर, उसे निजी क्षेत्र के सहयोग से क्रियान्वित किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार भी इस फिल्म सिटी की स्थापना में सहयोग करेगी और इसके लिए औद्योगिक दरों पर भूमि उपलब्ध करायेगी तथा सहायक अवस्थापना के सृजन में भी सक्रिय योगदान देगी। सुरक्षा की दृष्टि से फिल्म सिटी में पुलिस थाना, अग्नि–शमन केन्द्र, सम्पर्क मार्ग तथा वाह्य जल निकासी आदि भौतिक अवस्थापनाओं का विकास 'फिल्म विकास निधि' के माध्यम से अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मद से किया जायेगा।

(घ) प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग के साथ समन्वय कर निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउट–डोर शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास किया जायेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से फिल्म विकास परिषद् द्वारा ट्रांसपैरेन्सीज, लघु फिल्में, प्रचार साहित्य जैसे ब्रोशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश की नयी 'पर्यटन नीति' के तहत निजी–क्षेत्र को इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करे।

(ii) फिल्म स्टूडियोज/लैब्सः

जब तक प्रदेश में एक पूर्ण रूप से क्रियाशिल फिल्म सिटी की स्थापना नहीं हो जाती तब तक स्टूडियोज तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जायेगा। इनकी स्थापना हेतु राज्य की संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त क्षेत्रीय फिल्मों के लिए इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान योजना से उन्हें सम्बद्ध किया जायेगा, ताकि राज्य में स्थापित फिल्म स्टूडियोज/प्रयोगशालाएं लाभदायक बन सकें।

(iii) पूँजी निवेश एवं भूमि चयनः

राज्य सरकार निजी पूँजी निवेश एवं ऋण आदि के द्वारा स्टूडियो एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग से ऐसी इकाइयों को वित्तीय सहायता दिये जाने की यथा सम्भव व्यवस्था की जायेगी। फिल्म स्टूडियों एवं प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु राज्य सरकार भूमि के चयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

6(2). फिल्मों का प्रदर्शनः

केबल नेटवर्क, वीडियो सी0डी0/डी0वी0डी0 और डिजिटल मीडिया के अत्यधिक विकास से छविगृहों की आय में अत्यधिक कमी हुई है। इसके अतिरिक्त छविगृहों के खस्ता हालत एवं अनुरक्षण न होने के कारण भी छविगृहों का अस्तित्व खतरे में है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए छविगृहों में सिनेमा मनोरंजन को विकसित करने के लिए राज्य सरकार निम्न प्रोत्साहन देगीः–

(क) राज्य सरकार 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर स्थित सिनेमाघरों को उद्योग का दर्जा प्रदान करेगी।

(ख) बंद छविगृहों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित क्षेत्र के 35 प्रतिशत क्षेत्र हेतु व्यावसायिक उपयोग के लिये अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ग) बंद छविगृहों को पुनर्जीवित करनाः

आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रदेश में बन्द पड़े छविगृहों में पुनः फिल्म प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने पर छविगृह स्वामियों को 03 वर्ष तक 30 प्रतिशत मनोरंजन कर में छूट प्रदान की जायेगी। 1000 मीटर अथवा अधिक ऊँचाई पर स्थिति पुराने ऐसे सिनेमाघरों को न्यूनतम 150 दर्शक क्षमता के सिनेमाघरों हेतु जीर्णोद्धार के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी निधि से दी जायेगी, जो लागत का 15 प्रतिशत अथवा ₹ 25 लाख, जो भी न्यूनतम हो, होगी।

(घ) प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में बहुउद्देशीय मनोरंजन गृहों (जिसमें डी0वी0डी0 गृहों के साथ ही फूड कोर्ट, हस्तशिल्प हाट आदि सम्मिलित होंगे), की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(ङ) वर्तमान में छविगृहों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में निवेश करने वाले सिनेमा गृह मालिकों को मनोरंजन कर में तीन वर्षों तक 35 प्रतिशत छूट अथवा सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण में निवेश की गई कुल धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी न्यूनतम हो, कर छूट के रूप में एक बार हेतु प्रदान किया जायेगा।

(च) आधुनिक दृश्य–श्रृव्य उपकरणों युक्त नये सिनेमाघरों को पाँच वर्ष के लिए मनोरंजन कर में 30 प्रतिशत की छूट तथा निर्मित क्षेत्र के 35 प्रतिशत को व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी।

(छ) प्रदेश में मल्टीप्लैक्स छविगृहों की स्थापना करने हेतु जिसमें कम से कम दो सिनेमागृह संचालित हों, को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अगले 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 07.06.2010 से 06.06.2015 तक फिल्म प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाले मल्टीप्लैक्स छविगृह स्वामियों को मल्टीप्लैक्स छविगृह की लागत के अनुपात में 05 वर्ष की अवधि हेतु मल्टीप्लैक्स छविगृह की वास्तविक लागत प्राप्त होने तक 100 प्रतिशत मनोरंजन कर में छूट अनुमन्य किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है। इस शासनादेश को नीति लागू होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जायेगा।

(ज) राज्य सरकार छविगृहों में जाने वाले लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने, सिनेमा टिकटों के मूल्य नियंत्रण आदि के लिए भी दिशा–निर्देश एवं नियम तैयार करेगी।

7. उत्तराखण्ड फिल्म विकास निधिः

(क) उत्तराखण्ड के गठन के पूर्व से ही सिनेमा टिकटों पर पचास पैसे प्रति टिकट की दर से फिल्म विकास निधि के रूप में सिनेमागृह स्वामियों द्वारा दर्शकों से वसूल करके कोषागार में जमा किया जाता है परन्तु उक्त एकत्रित धनराशि के उपयोग हेतु अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गयी है। अतः उक्त एकत्रित धनराशि के समुचित उपयोग हेतु फिल्म विकास निधि गठित की जायेगी। उक्त निधि का उपयोग निम्न प्रकार किया जायेगाः–

(i) क्षेत्रिय फिल्मों को अनुदान उपलब्ध कराना।

(ii) सिनेमा स्वामियों को सिनेमा के आधुनिकीकरण/पुनर्निर्माण हेतु न्यूनतम दरों में ऋण उपलब्ध कराना।

(iii) फिल्मों का वित्त पोषण।

(iv) पुरस्कार।

(v) फिल्मों के लिए अवस्थापना का विकास।

(vi) फिल्मोत्सव।

निधि का संचालन परिषद् द्वारा किया जायेगा। "निधि" के संचालन के लिए परिषद् द्वारा अलग से नियमावली बनायी जायेगी। सिनेमा टिकटों पर 50 पैसे प्रति टिकट की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

(ख) निधि की स्थापना हेतु आरम्भिक रूप से राज्य सरकार द्वारा ₹ एक करोड़ मात्र कारपस फण्ड/सीड मनी (Corpus Fund/Seed Money) के रूप में प्रदान किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार मनोरंजन कर से प्राप्त कुल आय के 05 प्रतिशत को फिल्म विकास निधि में जमा करेगी।

8. राज्य में एकल खिड़की व्यवस्थाः

फिल्म शूटिंग एवं फिल्म व्यवसाय से संबंधित अन्य आवश्यकताओं के लिए एकल खिड़की व्यवस्था स्थापित की जायेगी। जिसके माध्यम से निम्न कार्य किये जायेंगेः–

(क) उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों पर फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक अनुमति की औपचारिकताओं को सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से सुगम बनाया जायेगा।

(ख) फिल्म शूटिंग के लिये अनुमति पत्र महानिदेशक सूचना, जोकि पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य फिल्म विकास परिषद् भी होंगे, के द्वारा जारी किया जायेगा।

(ग) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य, फिल्म विकास परिषद् प्रदेश के सभी सार्वजनिक स्थलों पर फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति–पत्र देने के लिए अधिकृत होंगे।

(घ) वन क्षेत्र एवं ऐसे स्थलों पर जहां पर कोई विधिक प्रतिबन्ध होता हो, ऐसे स्थानों के लिये संबंधित विभाग/संस्था की सहमति से शूटिंग हेतु अनुमति दी जायेगी। फिल्म निर्माता द्वारा आवेदन–पत्र में शूटिंग स्थलों की स्पष्ट जानकारी दी जायेगी। वन विभाग एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो महानिदेशक, सूचना द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित सहमति/असहमति प्रदान करेंगे।

(ङ) राज्य फिल्म विकास परिषद् द्वारा दिए गए निर्देशों/अनुमति–पत्र को महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी संबंधित प्राधिकारियों को अनुपालन हेतु प्रेषित करेंगे, जिसका संबंधित प्राधिकारी पालन करेंगे।

(च) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषा/बोली में बनने वाली फिल्मों की शूटिंग के लिये एक मुश्त 15,000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य फिल्मों के लिये 10,000 रुपये प्रति दिन शूटिंग शुल्क लिया जायेगा, जो फिल्म विकास निधि में जमा होगा। सिंगल विण्डो सिस्टम के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों द्वारा शूटिंग हेतु कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा परन्तु शूटिंग स्थल पर यदि पूर्व से ही कोई प्रवेश शुल्क या पार्किंग शुल्क, निर्धारित हो तो फिल्म निर्माता द्वारा उसका वहन किया जायेगा।

(छ) शूटिंग की समाप्ति पर संबंधित विभाग साफ–सफाई एवं रख–रखाव हेतु कोई शुल्क लेना चाहे तो वह अतिरिक्त देय होगा परन्तु उसका धनराशि का उल्लेख अनुमति–पत्र में भी किया जायेगा।

(ज) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य फिल्म विकास परिषद् को अनुमति पत्र देते समय सम्यक् प्रतिबन्धों, शर्तों तथा चेतावनियों को जारी करने हेतु अधिकृत किया जायेगा। फिल्म निर्माता द्वारा शूटिंग अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर निर्माता को लिखित रूप से अनुमति देने अथवा अनुमति नहीं देने की सूचना दी जायेगी।

(झ) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य फिल्म विकास परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान करने की स्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, संबंधित मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारियों को सूचित करेंगे, जो कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

9. फिल्म इकाइयों के लिए आवासीय सुविधाः

'परिषद्' द्वारा चयनित स्थलों पर लोक निजी सहभागिता के आधार पर आवासीय फिल्म काम्प्लेक्स बनाये जायेंगे, जिसमें उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा के साथ ही फिल्म तकनीशियनों एवे अन्य सहायक स्टॉफ के लिये भी आवासीय प्रबंध होगा। इन काम्प्लेक्सों के साथ ही फिल्म यूनिट के आवागमन के लिये लक्जरी बसों तथा उपकरण ढुलान के लिये ट्रकों आदि को आउटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. सरकारी हवाई पट्टियों की उपलब्धताः

राज्य अधीन विभिन्न हवाई पट्टियों को फिल्म इकाइयों के उपयोग हेतु निर्धारित किराये की दरों पर ही उपयोग की अनुमन्यता प्रदान की जायेगी।

11. मानव संसाधन का विकासः

(क) फिल्म व्यवसाय के उपयुक्त विकास के लिए प्रतिभा सम्पन्न कलाकार एवं प्रशिक्षित तकनीशियनों की उपलब्धता आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के पाँच चिन्हित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में फिल्म से संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुमन्य करेगी।

(ख) राज्य सरकार निजी क्षेत्र में ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहित करेगी, जो फिल्म व्यवसाय से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करते हों।

(ग) 'परिषद्' भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में अध्ययनरत उत्तराखण्ड के छात्रों को पूरे प्रशिक्षण सत्र के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान कर सकेगी।

(घ) 'परिषद्' पीपीपी मोड पर निजी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर स्थानीय युवा व कलाकारों की दक्षता के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य करेगी।

12. फिल्मों का वित्त पोषणः

(क) 'निधि' से उन्हीं फिल्मों का वित्त पोषण किया जायेगा, जो उत्तराखण्ड में फिल्मायी जाय तथा जो राज्य को प्रभावी रूप से प्रदर्शित कर सकें। फिल्मों के वित्त पोषण के लिए निम्न व्यवस्थाएं की जायेंगी;

(ख) 'परिषद्' के अधीन फिल्म वित्त पोषण के लिए एक उप समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः–

(एक) उपाध्यक्ष, राज्य फिल्म विकास परिषद्	–	अध्यक्ष,
(दो) महानिदेशक, सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	–	सदस्य सचिव,
(तीन) तीन सदस्य जो अध्यक्ष राज्य फिल्म विकास परिषद् द्वारा नामित किये जायेंगे	–	सदस्य,
(चार) वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना	–	सदस्य।

(ग) उक्त उप समिति गुण–अवगुण के आधार पर वित्त पोषण चाहने वाली फिल्मों की एक प्राथमिकता सूची तैयार करेगी तथा उपयुक्त फिल्मों हेतु निर्माण लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत वित्त पोषण करने के संबंध में विचार करेगी।

(घ) फिल्मों के वित्त पोषण पर उपसमिति के निर्णय एवं वित्त पोषित की जाने वाली धनराशि हेतु अन्तिम आदेश/अनुमति महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत ही जारी किया जा सकेगा।

(ङ) बड़े बैनरों के अधीन अर्थात् ₹ दो करोड़ अथवा अधिक लागत की व्यवसायिक फिल्मों हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

13. कर प्रोत्साहनः

(क) क्षेत्रीय फिल्मों को मनोरंजन कर में छूट–प्रदेश में क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण परिषद् का गठन किया जायेगा। इससे उत्तराखण्ड में निर्मित फिल्में विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। प्रमाणीकरण के पश्चात् क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित क्षेत्रीय फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट अनुमन्य होगी। इससे क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्रीय फिल्मों का विकास होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर होंगे। उत्तराखण्ड फिल्म प्रमाणीकरण परिषद् का गठन राज्य फिल्म विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(ख) एन0सी0वाई0पी0 द्वारा निर्मित बाल फिल्मों को भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को बिना पूर्व प्रदर्शन के मनोरंजन कर में छूट प्रदान की जायेगी।

(ग) फिल्म निर्माण से संबंधित उपकरणों यथा, कैमरा, क्रेन, ट्रॉली, रिफलेक्टर, जनरेटर, स्टार्म फैन, ध्वनि व प्रकाश उपकरणों पर फिल्म नीति की घोषणा के उपरान्त पाँच वर्ष तक आरोपित व्यापार कर की प्रतिपूर्ति निधि द्वारा की जायेगी।

(घ) जिन फिल्मों की 50 प्रतिशत अथवा कुल आउटडोर शूटिंग दिवसों के आधे से अधिक शूटिंग उत्तराखण्ड राज्य में हुई हो उन्हें गुण–दोष के आधार पर पूर्व प्रदर्शन के उपरान्त राज्य में कर मुक्त (टैक्स फ्री) किया जायेगा।

14. क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मेंः

(क) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में बनने वाली फिल्मों को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 25 लाख (दोनों में जो न्यूनतम हो) का अनुदान उत्तराखण्ड स्थित लैब हेतु तथा 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये (जो न्यूनतम हो) का अनुदान प्रदेश से बाहर स्थित लैब के लिये प्रदान किया जायेगा। यह अनुदान संबंधित फिल्म प्रोसेसिंग लैब को स्वीकृत किया जायेगा। यह अनुदान सेंसर प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रदान किया जायेगा। इन फिल्मों के लिए फिल्म का 75 प्रतिशत फिल्मांकन (अर्थात् कुल शूटिंग दिवसों का 3/4 भाग) राज्य में ही करना होगा।

(ख) राज्य फिल्म व्यवसाय के समेकित विकास के लिए दूसरे राज्यों के फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए राज्य में आकर्षित किया जायेगा। इसके लिए अन्य राज्यों की क्षेत्रीय फिल्मों को, जो 75 प्रतिशत उत्तराखण्ड में शूटिंग की गई हो, को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 15 लाख (दोनों में जो न्यूनतम हो) का अनुदान उत्तराखण्ड स्थित लैब हेतु तथा 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख रुपये (जो न्यूनतम हो) का अनुदान प्रदेश से बाहर स्थित लैब प्रदान किया जायेगा। यह अनुदान फिल्म को सेन्सर प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित फिल्म प्रोसेसिंग लैब्स को स्वीकृत किया जायेगा।

(ग) यदि कोई फिल्म निर्माता उत्तराखण्ड प्रदेश में फिल्म निर्माण/फिल्म की शूटिंग के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक थीम/विरासत के संबंध में फिल्म निर्मित करता है, जिससे उत्तराखण्ड प्रदेश की विशिष्ट पहचान प्रदेश में या प्रदेश के बाहर बनती है तो उसे सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

(घ) अनुदान चयन के लिए पटकथा की गुणवत्ता, निर्देशक का अनुभव व ख्याति एवं बजट का परीक्षण उपसमिति द्वारा किया जायेगा।

(ङ) उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिंट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा।

15. फिल्म संस्कृति का विकासः

अधिक से अधिक लोगों को उच्च स्तर की फिल्मों की ओर आकर्षित करने के राज्य सरकार प्रयास करेगी। इसके लिए राज्य सरकार फिल्म सोसाइटीज को प्रोत्साहित करेगी, फिल्म उत्सवों का आयोजन करेगी एवं महत्वपूर्ण फिल्मों के लिए पुरस्कार प्रदान करेगी। महत्वपूर्ण कार्यों/उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार पंजीकृत फिल्म सोसाइटीज को भी पुरस्कार प्रदान करेगी।

16. फिल्म निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कारः

(क) फिल्म निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के सम्मान में राज्य सरकार वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करेगी। इसके लिए एक तटस्थ ज्यूरी राज्य फिल्म विकास परिषद् के अधीन गठित की जायेगी। वार्षिक फिल्म पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में प्रदान किये जायेंगे–

- मुख्य धारा की हिन्दी फिल्में, जो पूर्णरूप से उत्तराखण्ड में शूट की गई हो।
- टी0वी0 फिल्म अथवा धारावाहिक, जो उत्तराखण्ड में निर्मित किये गये हों।
- राज्य क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में निर्मित फिल्में।
- राज्य क्षेत्र में निर्मित डाक्यूमेंट्रीज।

(ख) यह पुरस्कार एवं इनसे संबंधित समारोह का व्यय 'निधि' से वहन किया जायेगा।

17. फिल्म उत्सवः

(क) 'परिषद्' द्वारा वर्ष में एक बार फिल्म उत्सव आयोजित किया जायेगा। इस उत्सव में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा।

(ख) राज्य में फिल्म संस्कृति के विकास एवं फिल्म व्यवसाय के प्रोत्साहन में भी यह उत्सव सहयोग प्रदान करेगा। फिल्म उत्सव में सूचना, संस्कृति, पर्यटन एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा।

18. वीडियो पॉयरेसी एवं फिल्मों के अवैधानिक प्रदर्शन पर रोकः

वीडियो पॉयरेसी एवं अवैधानिक फिल्म प्रदर्शन द्वारा फिल्म व्यवसाय को अत्यधिक क्षति पहुंचाई गई है। इस क्रम में राज्य सरकार वीडियो पॉयरेसी एवं फिल्मों के अवैधानिक प्रदर्शन को रोकने हेतु उपलब्ध नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर नये नियमों/व्यवस्थाओं का गठन करेगी।

19. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् (Uttarakhand Film Development Council) :

उत्तराखण्ड फिल्म नीति के अन्तर्गत एक राज्य फिल्म विकास परिषद् का गठन किया जायेगा, जिसका नाम उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् होगा। परिषद् में अधिकतम 16 सदस्य होंगे। उक्त परिषद् का स्वरूप निम्नानुसार होगाः–

1.	मा0 मुख्यमंत्री	अध्यक्ष	01
2.	उत्तराखण्ड क्षेत्र के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि/समाजसेवी/क्षेत्रीय अथवा हिन्दी भाषा की फिल्मों के विशेषज्ञ	उपाध्यक्ष	01
3.	उत्तराखण्ड राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों व अन्य हिन्दी फिल्मों से जुड़े फिल्मकार/विषय विशेषज्ञ (नामित)	सदस्य	07
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
8.	प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
9.	प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
10.	महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01

परिषद् के उपाध्यक्ष तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। फिल्म विकास परिषद् एक स्थाई संस्था होगी और अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों के साथ परिषद् का कोरम पूर्ण माना जायेगा।

20. कार्यकारी मण्डल (Executive Board of UFDC) :

(क) राज्य फिल्म विकास परिषद् के कार्य संचालन हेतु एक कार्यकारी मण्डल का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः–

(एक) मुख्य कार्यकारी अधिकारी–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,

(दो) अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,

(तीन) सचिव, कार्यकारी मण्डल–सहायक/उपनिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,

(चार) वित्त परामर्शी–वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

(ख) यह कार्यकारी मण्डल परिषद् के नैत्यिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ग) कार्यकारी मण्डल प्रति तीन माह अथवा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में परिषद् के क्रियाकलापों से सम्बन्धित प्रतिवेदन परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

(घ) 'परिषद्' के कार्य संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लागू किया जायेगा।

21. फिल्म सोसाइटीजः

(क) फिल्म सोसाइटीज फिल्म संस्कृति के विकास तथा सिने दर्शकों का एक विवेकशील तथा बुद्धिमान वर्ग सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे एक ऐसा माध्यम है, जिनके द्वारा उच्च श्रेणी का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा, जानकार लोगों द्वारा देखा जाता है, उन पर विचार–विमर्श किया जाता है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। राज्य में स्थापित फिल्म सोसाइटीज की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'फिल्म सोसाइटी ऑफ इण्डिया' से विधिक रूप से पंजीकृत गम्भीर एवं सक्रिय फिल्म सोसाइटीज को फिल्म विकास निधि से 10,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जायेगा। साथ ही पंजीकृत फिल्म

एसोसियेशनों को भी फिल्म विकास निधि से अधिकतम 10 हजार रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जा सकता है। ऐसी फिल्म सोसाइटीज/फिल्म एसोसिएशन का कार्य क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र होना आवश्यक होगा।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) तथा फिल्म सोसाइटी ऑफ इण्डिया से इस बात का आग्रह किया जायेगा कि वे इन सोसाइटीज को अपनी गतिविधियों के विकास तथा उन्नयन हेतु कम लागत के विशेष पैकेज प्रदान करें।

22. विधिक परिवर्तन:

(क) इस फिल्म नीति से साम्यता बनाये रखने हेतु आवश्यकता पड़ने पर, सिनेमेटोग्राफी नियमावली एव अन्य ऐसे नियमों में आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।

(ख) भविष्य में यथा आवश्यकता प्रदेश की फिल्म नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/शिथिलीकरण मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

(ग) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पूर्व में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत राज्य फिल्म विकास परिषद् एवं क्षेत्रीय फिल्म विकास परिषद् की अधिसूचनाएं स्वतः निष्प्रभावी मानी जायेगी।

(घ) फिल्म नीति की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार समय–समय पर दिशा निर्देश जारी करेगी।

आज्ञा से,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

संख्याः118/XI/15/53(09)13टी0सी0

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 06 अगस्त, 2015

विषयः–ग्राम्य विकास विभाग के लेखा संवर्ग के कार्मिकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 719/2–2/स्था0/लेखा सं0(185)/2015–16, दिनांक 18.06.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग द्वारा ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–872/XVII(7)न0प्रति/2011, दिनांक 08.03.2011 के नियम–(2)(i)(क) में प्राविधानित है कि–

> किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोनयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार किसी पदधारक का पद उच्च पद पर उच्चीकरण होने के फलस्वरूप उसके द्वारा निम्न पद पर की गयी सेवाओं की गणना ए0सी0पी0 हेतु की जायेगी एवं ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु सम्बन्धित पदधारक को उच्चीकृत पद से अगला वेतनमान अनुमन्य किया जायेगा। ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन ₹ 4,800 या उससे न्यून के पदधारकों हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–770/XXVII(7) 40(XX)/दिनांक 06.11.2013 के माध्यम से पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के लेखा संवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2013 के प्रस्तर–2 में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार कनिष्ठ लेखा लिपिक (ढाँचे के पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्तमान में पदनाम एवं वेतनमान सहायक लेखाकार हो गया है) के पद पर नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष उपरान्त ग्रेड वेतन ₹ 4,200, 16 वर्ष की सेवा में ग्रेड वेतन ₹ 4,800 एवं 26 वर्ष की सेवा में वेतन बैण्ड–3, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400, प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में अनुमन्य किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–596/XXVII(7)/2014, दिनांक 03.08.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

विनोद फोनिया,
सचिव।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

कार्यालय–ज्ञाप

18 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 876/21/अनुसचिव/डी0पी0सी0/अधि0/2015–16–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अनुभाग अधिकारी डॉ0 प्रशान्त, श्रीमती पुष्पा बुदियाल एवं श्री अनुराग श्रीवास्तव को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में अनुसचिव के रिक्त पदों पर वेतनमान पे बैण्ड–3, ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 में अस्थायी रूप से प्रस्तर–2 व 3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। नवीन तैनाती आदेश निर्गत किये जाने तक उपरोक्त अधिकारीगण विद्यमान कार्यानुभाग के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निवर्हन करते रहेंगे।

3. उपरोक्त अधिकारियों को अनुसचिव के पद पर नियमानुसार 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

एस0एन0 पाण्डे,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

10 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 89/2015/05(100)/XXVII(8)/02–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर, अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य में स्थापित वाणिज्य कर जाँच चौकियों एवं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित वाणिज्य कर जाँच चौकियों के दिनांक 28.02.2013 से समाप्ति के निर्णय के फलस्वरूप उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2006 के नियम–3 के उपनियम–1 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके और इस विषय पर सभी पर्वूवर्ती अधिसूचना/विज्ञप्तियों का अतिक्रमित करते हुये श्री राज्यपाल महोदय, वाणिज्य कर सचलदल इकाइयों एवं वाणिज्य कर वि0अनु0शा0 इकाइयों का क्षेत्राधिकार/भौगोलिक सीमायें शासनादेश दिनांक 01.01.2015 द्वारा वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के विभागीय ढाँचे का पुनर्गठन तथा अतिरिक्त पदों के सृजन किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2015 से निम्नवत् अधिसूचित करते हैः–

गढ़वाल जोन

क्र0 सं0	सचलदल इकाई का नाम	मुख्यालय	जिला	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	सचलदल इकाई, विकासनगर	कुल्हाल	देहरादून	देहरादून जिले के तहसील विकासनगर, तहसील कालसी, तहसील चकराता एवं तहसील त्यूनी तथा जिला उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट एवं तहसील पुरोला का समस्त क्षेत्र [सचल इकाई (ए) विकासनगर को सम्मिलित करते हुए]

1	2	3	4	5
2.	सचलदल इकाई(ए), देहरादून	संयुक्त जाँच चौकी, आशारोड़ी	देहरादून	देहरादून मण्डल कार्यालय एवं मसूरी मण्डल कार्यालय का समस्त क्षेत्र
3.	सचलदल इकाई(बी), देहरादून	रेलवे स्टेशन, देहरादून	देहरादून	देहरादून मण्डल कार्यालय एवं मसूरी मण्डल कार्यालय का समस्त क्षेत्र
4.	सचलदल इकाई, ऋषिकेश	मण्डल कार्यालय, ऋषिकेश	देहरादून	मण्डल कार्यालय, ऋषिकेश का समस्त क्षेत्र, जिला टिहरी गढ़वाल का समस्त क्षेत्र एवं जिला उत्तरकाशी का पुरोला व बड़कोट तहसील को छोड़कर समस्त क्षेत्र तथा जिला रूद्रप्रयाग एवं जिला चमोली का समस्त क्षेत्र एवं जिला पौड़ी गढ़वाल का तहसील श्रीनगर का क्षेत्र
5.	सचलदल इकाई(ए), हरिद्वार	रेलवे स्टेशन, हरिद्वार	हरिद्वार	जिला हरिद्वार की तहसील रूड़की को छोड़कर समस्त क्षेत्र
6.	सचलदल इकाई(बी), हरिद्वार	संयुक्त जाँच चौकी, चिड़ियापुर	हरिद्वार	जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर एवं तहसील रूड़की को छोड़कर समस्त क्षेत्र
7.	सचलदल इकाई, रुड़की	संयुक्त जाँच चौकी, नारसन	हरिद्वार	जिला हरिद्वार की तहसील रूड़की के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र
8.	सचलदल इकाई, भगवानपुर	चौली	हरिद्वार	जिला हरिद्वार की तहसील रूड़की के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र
9.	सचलदल इकाई, कोटद्वार	कौड़िया	पौड़ी गढ़वाल	जिला पौड़ी गढ़वाल का समस्त क्षेत्र, तहसील श्रीनगर एवं तहसील धुमाकोट को छोड़कर

कमाऊँ जोन

क्र0 सं0	सचलदल इकाई का नाम	मुख्यालय	जिला	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	सचलदल इकाई, जसपुर	धर्मपुर	ऊधमसिंह नगर	जसपुर तहसील का समस्त क्षेत्र
2.	सचलदल इकाई(ए), काशीपुर	शाहगंज	ऊधमसिंह नगर	काशीपुर तहसील का समस्त क्षेत्र
3.	सचलदल इकाई(बी), काशीपुर	रेलवे स्टेशन, काशीपुर	ऊधमसिंह नगर	काशीपुर तहसील का समस्त क्षेत्र
4.	सचलदल इकाई, बाजपुर	महेशपुरा	ऊधमसिंह नगर	बाजपुर तहसील का समस्त क्षेत्र
5.	सचलदल इकाई(ए), रूद्रपुर	संयुक्त जाँच चौकी, रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर	रूद्रपुर मण्डल कार्यालय का समस्त क्षेत्र
6.	सचलदल इकाई(बी), रूद्रपुर	रेलवे स्टेशन, रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर	रूद्रपुर मण्डल कार्यालय के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र
7.	सचलदल इकाई, किच्छा	संयुक्त जाँच चौकी, सुतईया	ऊधमसिंह नगर	किच्छा मण्डल कार्यालय का समस्त क्षेत्र क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र तथा सितारगंज तहसील का समस्त क्षेत्र
8.	सचलदल इकाई, खटीमा	टेड़ाघाट	ऊधमसिंह नगर	खटीमा तहसील का समस्त क्षेत्र तथा जिला चम्पावत, जिला पिथौरागढ़ का समस्त क्षेत्र
9.	सचलदल इकाई, रामनगर	रामनगर	नैनीताल	तहसील रामनगर, जिला अल्मोड़ा की तहसील भिक्यासैंण एवं पौड़ी गढ़वाल जिले की तहसील धूमाकोट का समस्त क्षेत्र

1	2	3	4	5
10.	सचलदल इकाई, हल्द्वानी	मण्डल कार्यालय, हल्द्वानी	नैनीताल	जिला नैनीताल का समस्त क्षेत्र रामनगर तहसील को छोड़कर एवं जिला अल्मोड़ा का समस्त क्षेत्र तहसील भिक्यासैंण को छोड़कर एवं जिला बागेश्वर का समस्त क्षेत्र [सचल इकाई (बी), हल्द्वानी को सम्मिलित करते हुए]

आज्ञा से,
अमित नेगी,
सचिव।

जनगणना विभाग

अधिसूचना

07 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या 1869/जनगणना/2015–संख्या GAD/उत्तराखण्ड शासन/जनगणना संख्या 1869/13(सा0)/2015, भारत सरकार के राजपत्र सं0–1332, दिनांक 25 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण का कार्यालय) की अधिसूचना का0आ0–1691(अ), नई दिल्ली, 25 जून, 2015 के अनुसार 'नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान–पत्र जारी करना' नियमावली, 2013 के नियम–3 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की सम्बन्धित जानकारी एकत्र करने के लिये देशभर में घर–घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ किया जायेगा। इस सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य सरकार भी यह घोषणा करती है कि उत्तराखण्ड राज्य में "Updation of NPR data base and seeding of Aadhaar number in NPR data base" का कार्य प्रगणकों द्वारा घर–घर जाकर गणना करने संबंधी क्षेत्र कार्य दिनांक 17 नवम्बर, 2015 से 16 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि में किया जायेगा।

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव।

लोक निर्माण अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

03 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 1181/III(1)/15–100(अधि0)/09–लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्त श्री सतेन्द्र कुमार भदोला, सहायक अभियन्ता (वि0 यां0) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. अधिशासी अभियंता (वि0/यां0) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सतेन्द्र कुमार भदोला को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही तैनात किया जाता है।

3. उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी को 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
अमित सिंह नेगी,
सचिव।

सूचना अनुभाग

विज्ञप्ति/संशोधन

03 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 35/XXII/2015–1(13)2006टी0सी0–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव की सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति विषयक शासन की विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश सं0–18/XXII/2015–1(13)2006 टी0सी0, दिनांक 16 जुलाई, 2015 में उल्लिखित जिला सूचना अधिकारी का वेतनमान ₹ 9,300–34,800, ग्रेड पे ₹ 4,600 के स्थान पर टंकक त्रुटि से वेतनमान ₹ 9,300–34,800, ग्रेड पे ₹ 4,800 अंकित हो गया।

2. अतः उक्त विज्ञप्ति में जिला सूचना अधिकारी का वेतनमान ₹ 9,300–34,800, ग्रेड पे ₹ 4,800 के स्थान पर वेतनमान ₹ 9,300–34,800, ग्रेड पे ₹ 4,600 पढ़ा जाए।

3. उक्त विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2015 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

चन्द्रेश कुमार,
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड जल संस्थान

अधिसूचना

11 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 290/2015–शासनादेश सं0 583/उन्तीस(1)/2015/(59 पे0)/2004, दिनांक 16 जुलाई, 2015 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा–25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा–59 (1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013 के प्रस्तर–11(2) में उत्तराखण्ड जल संस्थान के उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान विलम्ब से करने पर विलम्ब अवधि के लिए प्राविधानित 06 प्रतिशत विलम्ब शुल्क को पुनरीक्षित करते हुए 1.50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से पुनरीक्षित किया जाता है।

एस0के0 गुप्ता,
मुख्य महाप्रबन्धक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट/498–भाग–1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2015 ई0 (भाद्रपद 21, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

ORDER

July 28, 2015

No. 44/UHC/XIV/85/Admin.A/2003--In terms of **G.O. No. 44-Ek(1)/XXXVI(1)/2006-6-Ek(2)/06,** dated 15.04.2006 and subsequent **G.O. No. 54-Ek(1)/XXXVI(1)/2006-6-Ek(2)/06,** dated 25.08.2006 surrender of 30 days earned leave made by Sri Mohammad Sultan, Addl. District & Sessions Judge, Vikasnagar, District Dehradun for the period 01.11.2014 to 30.11.2014, is accepted and he is sanctioned encashment of earned leave in lieu thereof for the block period 01.11.2013 to 31.10.2015.

ORDER

August 01, 2015

No. 45/UHC/XIV/68/Admin.A/2003--In terms of **G.O. No. 44-Ek(1)/XXXVI(1)/2006-6-Ek(2)/06,** dated 15.04.2006 and subsequent **G.O. No. 54-Ek(1)/XXXVI(1)/2006-6-Ek(2)/06,** dated 25.08.2006 surrender of 30 days earned leave made by Sri Bindhyachal Singh, 3rd Addl. District Judge, Hardwar, for the period 01.01.2015 to 30.01.2015, is accepted and he is sanctioned encashment of earned leave in lieu thereof for the block period 01.11.2013 to 31.10.2015.

ORDER

August 12, 2015

No. 47/UHC/XIV-77/Admin.A/2003--In terms of **G.O. No. 44-Ek(1)/XXXVI(1)/2006-6-Ek(2)/06,** dated 15.04.2006 and subsequent **G.O. No. 54-Ek(1)/XXXVI(1)/2006-6-Ek(2)/06,** dated 25.08.2006 surrender of 30 days earned leave made by Sri Sayan Singh, 3rd Addl. District Judge, Rudrapur, District Udham Singh Nagar, for the period 02.07.2011 to 31.07.2011, is accepted and he is sanctioned encashment of earned leave in lieu thereof for the block period 01.11.2009 to 31.10.2011.

ORDER

August 12, 2015

No. 48/UHC/XIV-77/Admin.A/2003--In terms of **G.O. No. 44-Ek(1)/XXXVI(1)/2006-6-Ek(2)/06,** dated 15.04.2006 and subsequent **G.O. No. 54-Ek(1)/XXXVI(1)/2006-6-Ek(2)/06,** dated 25.08.2006 surrender of 30 days earned leave made by Sri Sayan Singh, 3rd Addl. District Judge, Rudrapur, District Udham Singh Nagar, for the period 02.07.2013 to 31.07.2013, is accepted and he is sanctioned encashment of earned leave in lieu thereof for the block period 01.11.2011 to 31.10.2013.

NOTIFICATION

August 04, 2015

No. 219/UHC/XIV/56/Admin.A/2003--Sri Dhananjay Chaturvedi, Addl. District & Sessions Judge, Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 22.04.2015 to 06.05.2015 in terms of **G.O. No. 819/xxvii(7)34/2010-11**, dated 31.12.2013 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

August 07, 2015

No. 220/UHC/XIV/71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, Addl. District & Sessions Judge/Special Judge (POCSO), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 19 days *w.e.f.* 13.07.2015 to 31.07.2015 with permission to prefix 11.07.2015 & 12.07.2015 as second Saturday & Sunday holidays.

NOTIFICATION

August 13, 2015

No. 221/UHC/XIV/92/Admin.A/2003--Sri Om Kumar, Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 27.07.2015 to 07.08.2015 with permission to prefix 26.07.2015 as Sunday and to suffix 08.08.2015 & 09.08.2015 as second Saturday and Sunday holidays, for the purpose of Home Town L.T.C.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/

Registrar (Inspection).

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
विज्ञप्ति

21 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 2062/आयु0कर,उत्तरा0/फार्म–अनु0/2015–16/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–6, वाणिज्य कर, दे0दून	प्ररुप–XVI (06)	U.K.VAT-M 2012 7222870 to 7222875	मिसिंग के कारण
2.	सर्वश्री चाचा श्री एण्ड संस, 75 तिलक रोड, देहरादून, टिन–05012580828	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 3737670	खोने के कारण

1	2	3	4	5
3.	सर्वश्री बॉम्बे स्टोर, क्षेत्र रोड, ऋषिकेश, टिन–05003677780	प्ररुप– XVI (15)	U.K.VAT-M 2012 2218651, 2218663, 2218664, 2218677, 2218681, 3176441, 3177577, 3177584, 3177585, 3177586, 3177601, 3555633, 3555634, 3555640, 4498392	खोने के कारण
4.	सर्वश्री श्री वेस्टेक हेल्थ केयर, 205/3, महाबीर एन्क्लेव, रूड़की, टिन–05012598094	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 7580290	खोने के कारण
5.	सर्वश्री प्रैसट्रेस वॉयर इण्डस्ट्रीज, बाजपुर, टिन–05008799477	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 1491809	खोने के कारण
6.	सर्वश्री आनन्द इण्डस्ट्रीज, काशीपुर, टिन–05002483322	प्ररुप–XVI (03)	U.K.VAT-M 2012 3414253, 3414254, 1654133	खोने के कारण
7.	सर्वश्री पियूष ट्रेडर्स, आवास विकास, रूद्रपुर, टिन–05011377640	प्ररुप–XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 2405993, 2405995	खोने के कारण
8.	सर्वश्री गणेशा ईकोस्फेयर लि0, पंतनगर, टिन–05005586255	प्ररुप–XVI (20)	U.K.VAT-M 2012 7051611 to 7051630	खोने के कारण
9.	सर्वश्री गोल्डन एजेंसी, रूद्रपुर, टिन–05004626052	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 4939540	खोने के कारण

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

04 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2354/आयु0कर,उत्तरा0/फार्म–अनु0/2015–16/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री श्रुति इन्टरप्राईजेज लि0, गुरूनानक रोड, सुभाषनगर, देहरादून, टिन–05013178251	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 5509140	खोने के कारण
2.	सर्वश्री प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लि0, प्लॉट नम्बर–9/10, के0आई0 इण्डस्ट्रीयल एरिया, रूड़की, टिन–05006548495	प्ररुप–XVI (14)	U.K.VAT-M 2012 0586626 to 0586630, 0586632, 0586636, 0586639, 1094915, 1256599, 2825382, 3035918, 4210681, 4218317	खोने के कारण

1	2	3	4	5
3.	सर्वश्री बीनानी सीमेन्ट लि0, 20/21, मथुरा बिहार, मकतूलपुरी, रूड़की, टिन–05003943754	प्ररुप–XVI (31)	U.K.VAT-M 2012 0561300, 0677954, 1050563, 0561402, 0561430, 0569171, 1050572, 1050576, 1050631, 1050684, 0677017, 1173744, 1296632, 0677041, 1296668, 0677048, 0676821, 0678826, 0676889, 1050349, 1382712, 1382810, 1050398, 0876905, 0676917, 2947540, 2947755, 2947758, 2947770, 1173728, 0569264	खोने के कारण
4.	सर्वश्री शिव हरि आयुर्वेदिक औषधि भण्डार, गीता भवन मार्ग, काशीपुर, टिन–05006405711	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 3262259	खोने के कारण
5.	सर्वश्री ठुकराल स्टील इंजीनियर्स, रूद्रपुर, टिन–05008468416	प्ररुप–XVI (16)	U.K.VAT-M 2012 4873848 to 4873863	खोने के कारण
6.	सर्वश्री बनवारी पेपर्स मिल्स लि0, काशीपुर, टिन–05002494574	प्ररुप–XVI (23)	U.K.VAT-M 2012 3343564, 3343425, 4832797, 3343483, 0299773, 1734730, 1734731, 1734727, 1734591, 1734593, 1734728 to 1734729, 0299660, 3343312 to 3343320	खोने के कारण
7.	सर्वश्री रेडिकल प्लॉस्टपैक प्रा0लि0, रूद्रपुर, टिन–05013044682	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 2361693	खोने के कारण
8.	सर्वश्री जय दुर्गा राईस मिल, गदरपुर, टिन–05004637498	प्ररुप–XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 6206783, 6206784	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), काशीपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

30 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 776/टि0आर0/कर–पंजीयन/UK18 CA 0610–वाहन संख्या UK18 CA 0610, मॉडल, 2013, चेसिस नं0 MB1G3HYC9DEEL9625, इंजन नं0 DEEZ413974, इस कार्यालय में मै0 ढिल्लन स्टोन क्रेशर प्रा0लि0, रामनगर रोड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम से दर्ज है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तकनीकी आख्यानुसार वाहन संचालन योग्य नहीं है। वाहन स्वामी द्वारा चेसिस छाप का टुकड़ा जमा कर दिया गया है।

अतः, मैं पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK18 CA 0610, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MB1G3HYC9DEEL9625 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

30 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 2351/टि0आर0/पंजी0नि0/UA06E-0950/2015–वाहन संख्या UA06E-0950, मॉडल 2005, चेसिस संख्या 447000090, इंजन नं0 A5G91122, कार्यालय में श्री देवी दत्त पुत्र श्री ज्वाला दत्त, निवासी ग्राम जवाहर नगर, पो0 नगला डेरी किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 25.07.2015 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। तकनीकी अधिकारी द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है कि रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट, सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA06E-0950 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 447000090 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

01 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2361/टि0आर0/पंजी0नि0/UK06CA-7500/2015–वाहन संख्या UK06CA-7500, मॉडल 2011, चेसिस संख्या MAT448100BE3E12642 तथा इंजन नं0 B591803111E63132930, कार्यालय में श्री शमशाद अहमद पुत्र श्री इफ्तिखार अहमद, निवासी म0 नं0–100, मौहल्ला पूर्वी नहर बस्ती, वार्ड नं0–6, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 30.07.2015 को आवेदन पत्र के साथ अवगत कराया है कि उनका वाहन जल जाने के कारण नष्ट हो गया है, जो मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। उक्त वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का प्रपत्र पूर्व में दिनांक 20.09.2014 से कार्यालय में समर्पित है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CA-7500 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAT448100BE3E12642 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

03 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2367/टि0आर0/पंजी0नि0/यूके06सीए–3276/2015–वाहन संख्या यूके06सीए–3276, मॉडल 2011, चेसिस संख्या 11UK060120054, इस कार्यालय में श्री बसन्त सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी दमगड़ा, खालीमहुवट, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 31.07.2015 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है कि रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर जमा है। वाहन फाइनेन्स

से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट, सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या यूके06सीए–3276 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 11UK060120054 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

03 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2369/टि0आर0/पंजी0नि0/UA06-7659/2015–वाहन संख्या UA06-7659, मॉडल 1988, चेसिस संख्या 258262, इंजन नं0 352723, कार्यालय में मैसर्स जशोदा ट्रेनिंग स्कूल, 3, कल्याणी व्यू, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 29.07.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA06-7659, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 258262 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

06 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2391/टि0आर0/पंजी0नि0/UK06V-3692/2015–वाहन संख्या UK06V-3692, मॉडल 2012, चेसिस संख्या MAT608535CPA05163, इंजन नं0 4751DT14AXYP02466, कार्यालय में श्री जहूर उल इस्लाम पुत्र श्री अब्दुल हादी, निवासी वार्ड नं0–13, बड़ी मस्जिद, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 01.08.2015 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन आग लगने के कारण तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब हो गया है, जो मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। तकनीकी अधिकारी द्वारा अपनी आख्या से अवगत कराया है कि वाहन का मूल चेसिस प्लेट जल कर गल चुकी है तथा चेसिस नं0 स्पष्ट पढ़ने में नहीं आ रहा है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06V-3692, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAT608535CPA05163 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

06 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2392/टि0आर0/पंजी0नि0/URR-0957/2015–वाहन संख्या URR-0957, मॉडल 1985, चेसिस संख्या 344052204853, इंजन नं0 692d02211972, कार्यालय में श्रीमती लता सिंह पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह, निवासी म0 नं0 124, टैगोर नगर, तहसील सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है तथा वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है कि रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन प्रपत्र दिनांक 30.03.2015 से वर्तमान तक समर्पित किये गये हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या URR-0957, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344052204853 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

06 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2393/टि0आर0/पंजी0नि0/UP78T-4397/2015–वाहन संख्या UP78T-4397, मॉडल 1999, चेसिस संख्या 388002JQQ007308 तथा इंजन नं0 996212699, कार्यालय में श्री इकराम खान पुत्र श्री इकबाल खान, निवासी ग्राम अलीनगर, शहदौरा, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 29.06.2015 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। तकनीकी अधिकारी द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2015 तक जमा है। वाहन के प्रपत्र दिनांक 30.06.2015 से वर्तमान तक कार्यालय में समर्पित हैं, वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP78T-4397, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 388002JQQ007308 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

06 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2396/टि0आर0/पंजी0नि0/UP22-3415/2015–वाहन संख्या UP22-3415, मॉडल 1991, चेसिस संख्या D506028, इंजन नं0 0121485649, कार्यालय में श्री अमीर चन्द पुत्र श्री श्याम दास, निवासी आवास विकास, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है तथा वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP22-3415, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या D506028 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

17 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2425/टि0आर0/पंजी0नि0/UK06J-6693/2015–वाहन संख्या UK06J-6693, मॉडल 2007, चेसिस संख्या MALAM51BR7M001303K तथा इंजन नं0 G4HG7M266559, कार्यालय में दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं0 लि0, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 07.08.2015 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उक्त वाहन दुर्घटना के कारण पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा वाहन के क्लेम हेतु पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। तकनीकी अधिकारी द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06J-6693, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALAM51BR7M001303K तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

17 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2426/टि0आर0/पंजी0नि0/UK06CA-6280/2015–वाहन संख्या UK06CA-6280, मॉडल 2013, चेसिस संख्या 13UK06011012, कार्यालय में श्री अहमद जान पुत्र श्री वत्तन, निवासी म0नं0 90, ग्राम धीमरखेडा, त0 गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 07.08.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 31.08.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CA-6280, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 13UK06011012 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

18 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 2432/टि0आर0/पंजी0नि0/UK06Y-7860/2015–वाहन संख्या UK06Y-7860, मॉडल 2012, चेसिस संख्या MA1YL2HJUC6G75201 तथा इंजन नं0 HJC4G85153, कार्यालय में हॉजी वसीम कुरैशी पुत्र श्री अब्दुल सलाम, निवासी ब्लॉक ऑफिस कैम्पस, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 11.08.2015 को आवेदन–पत्र के साथ अवगत कराया है कि उनका वाहन जल जाने के कारण नष्ट हो गया है, जो मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। उक्त वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06Y-7860, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA1YL2HJUC6G75201 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग, देहरादून

कार्यालयादेश

23 मई, 2015 ई0

संख्या 1301/प्रशासन/लाइसेंस/2015–प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर निम्नवत् लाइसेंसधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, उनकी चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध उनके सम्मुख अंकित कार्यवाही की गयी है:–

क्र0 सं0	लाइसेंसधारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राहुल पन्त पुत्र श्री डी0सी0 पन्त, 01/05, न्यू बसंत विहार एन्कलेव, देहरादून	यूके–0720050250318, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन), वैधता–09–11–2025	पुलिस निरीक्षक, व्हाईट फील्ड ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, बैंगलौर सिटी	नशे (मादक द्रव्य) का सेवन कर वाहन चलाना	निरस्त

1	2	3	4	5	6
2.	श्री अमित कुमार पुत्र श्री सीता राम, ए–25, नेहरू कॉलोनी, देहरादून	54294/डी/1996 मोटर साईकिल एवं मोटरकार, वैधता–19–05–2015	पुलिस उपनिरीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ट्रैफिक पुलिस, बैंगलौर	नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना। यातायात बाधित करना	19.05.2015 से 02.06.2015 तक निलम्बित
3.	श्री पवन सिंह रावत पुत्र श्री उमेद सिंह रावत, तुनवाला, रायपुर, देहरादून	यूए–0720080035019 मोटर साईकिल, हल्का परिवहन यान, वैधता–04–02–2017	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून	यात्री वाहन में 25 के स्थान पर 41 सवारियां ले जाना, वर्दी में न होना	19.05.2015 से 17.07.2015 तक निलम्बित
4.	श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री एम0एम0एल0 वर्मा, कल्याणपुर, विकासनगर, देहरादून	यूए–0720010151481 मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान, वैधता–25–03–2017	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून	यात्री वाहन में 07 के स्थान पर 11 सवारी ले जाना, चालक कक्ष में 03 सवारी होना	19.05.2015 से 01.07.2015 तक निलम्बित
5.	श्री कादिर खान पुत्र श्री शब्बीर खान, शंकरपुर, हुकुमतपुर, सहसपुर, देहरादून	यूके–07/एलएल/912/ 2015 शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन), वैधता–07–07–2015	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विकासनगर	वाहन चलाते हुए मोबाईल पर वार्ता करना, हेल्मेट न पहनना, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति पर वाहन चलाना	निरस्त
6.	श्री एम0डी0 मुबारक पुत्र श्री एम0बी0 जमीर, गाँधी रोड, देहरादून	यूए–0719900194232, हल्का परिवहन यान, वैधता–02–02–2018	थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून	शराब का सेवन कर वाहन का संचालन करना, चालन अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त होना	निरस्त
7.	श्री धर्म सिंह पुत्र श्री बलिया, जोडडी कालसी, देहरादून	यूके–0720010204910, परिवहन यान, पीएसवी बस, वैधता–27–04–2015	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विकासनगर	10 के स्थान पर 15 सवारियां ले जाना, चालक कक्ष में 04 सवारी होना, छत पर 04 सवारी बैठाना	19.05.2015 से 02.07.2015 तक निलम्बित
8.	श्री नसीबुद्दीन पुत्र श्री सादिक, मेहूवाला माफी, देहरादून	यूए70719840185051, हल्का परिवहन यान	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून	07 के स्थान पर 11 सवारियां ले जाना, चालक कक्ष में 03 सवारी बैठाना, परमिट की शर्तों के विरूद्ध फुटकर सवारियां ले जाना	19.05.2015 से 18.06.2014 तक निलम्बित

कार्यालयादेश

23 मई, 2015 ई0

संख्या 1302/प्रशासन/लाइसेंस/2015–प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर निम्नवत् लाइसेंसधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, उनकी चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध उनके सम्मुख अंकित कार्यवाही की गयी है:–

क्र0 सं0	लाइसेंसधारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/ श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही
1.	श्री चन्दन सिंह रावत पुत्र श्री इन्द्र सिंह रावत, निवासी–डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून	यूके–0720020221041, परिवहन यान, पीएसवी बस, वैधता–24–08–2015	पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग	तेजगति व लापरवाही से वाहन चलाकर अन्य वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करना	निरस्त
2.	श्री जबर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, ग्राम–गांसी, चकराता, देहरादून	यूए–0719980153975, मो0सा0 हल्का परिवहन यान	संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय	चालक के द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटनाग्रस्त करना	निरस्त
3.	श्री संदीप नेगी पुत्र श्री कलम सिंह नेगी, निवासी ग्राम–धोलियाणा, बडियारगढ़, देवप्रयाग, टिहरी	यूए–70720080046928, मोटर साईकिल, परिवहन यान व पीएसवी बस	पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	शराब का सेवन कर वाहन चलाना व अन्य वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करना	निरस्त

संदीप सैनी,
लाइसेंसिंग प्राधिकारी/
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट/498–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2015 ई0 (भाद्रपद 21, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, चम्पावत

गृहकर / भवन कर / सम्पत्तिकर नियमावली संशोधन

14 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 188 / गजट / भवनकर उपनियमावली संशोधन / 2015–16–नगर पालिका परिषद्, चम्पावत, जिला चम्पावत द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–126(1) एक, नौ एवं 146 तथा 296 में अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, चम्पावत के अपनी सीमा के अन्दर भवन / सम्पत्ति कर, गृहकर उपनियम, 2014 लागू करने हेतु अपनी मासिक अधिवेशन दिनांक 19–11–2013 के प्रस्ताव सं0 05 द्वारा प्रचलित भवन कर दरों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी आपत्तियाँ पत्रांक सं0 699 / निविदा सूचना / 2013–14, दिनांक 07 नवम्बर, 2013, समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया। आपत्ति निस्तारण के उपरान्त गजट में प्रकाशन किया जा रहा है जो गजट में प्रकाशित तिथि से लागू होगी।

स्तम्भ–01 (प्रस्तावित दरें)	स्तम्भ–02 (संशोधित दरें)
उत्तर प्रदेश गजट, 28 अगस्त, 1993 ई0 (भा0द0 06, 1915 शक् संवत), में प्रकाशित भवन कर नियमावली सं0 846 / तेईस–65(88–89)–यू0पी0 टाउन एरिया, ऐक्ट, 1914 (ऐक्ट संख्या 2, 1914) की धारा–139 एवं पी0 म्यूनिशिपालिटि ऐक्ट, 1916 की धारा–299 अन्तर्गत टाउन एरिया कमेटी चम्पावत, जिला पिथौरागढ़, की सीमान्तर्गत भूमि एवं भवन कर निर्धारण एवं वसूली के लिए बनाये गये उपनियमों को मैं, जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ यू0पी0 म्यूनिशिपालिटि ऐक्ट, 1916 की धारा–301(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्वीकार करता है।	नियमावली (क) यह नियमावली भूमि / भवन कर नगरपालिका परिषद्, चम्पावत, जिला चम्पावत के नाम से पुकारी जायेगी तथा नगरपालिका परिषद्, चम्पावत की सीमा के अन्तर्गत आने वाली भूमि एवं भवन पर प्रवृत्त होगी। (ख) इस नियमावली का विस्तार नगरपालिका परिषद्, चम्पावत के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में होगा। (ग) गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

स्तम्भ–01 *(प्रस्तावित दरें)*	स्तम्भ–02 *(संशोधित दरें)*
(1) (अ) वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है, रेलवे स्टेशन, होटलों, अस्पतालों, कॉटेजों, फैक्ट्रियों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, भवनों, खाली भूमि, जिसमें दीवार खिची हो, अनुमानित वार्षिक किराया तथा वास्तविक किराया जो किरायेदार से मिलता हो दोनों प्रकार की आय मिला कर वार्षिक मूल्य माना जायेगा।	(2) वार्षिक मूल्य का तात्पर्य होटलों, स्कूलों, कॉलेजों अस्पतालों, धर्मशालाओं, कारखानों का वह भाग जो व्यवसायिक प्रयोग हेतु आते हैं, इस प्रकार अन्य भवनों की दशा में भवन निर्माण की अनुमानित लागत एवं तत्सम्बन्धित भूमि अनुसार किन्तु उपर्युक्त से भिन्न भवनों के सम्बन्धों में वार्षिक मूल्य का अर्थ उक्त भवनों के वार्षिक किराया जिस पर उठे हों या उठाये गये हैं।
(2) भवन से तात्पर्य है, मकान/झोपड़ी या दूसरी छत वाली तामीर और उसका हर भाग चाहे यह किसी भी आशय के लिये या किसी भी सामान मसाले का बना होंगे, भवन का कोई आहता हो तो वह भी शामिल होगा परन्तु उसमें खेमे तम्बू आदि शामिल नहीं होगा और यदि किसी सम्मिलित अहाते में कई इमारते हों तो उस सम्मिलित अहाते की समस्त इमारते होंगी।	भवन से तात्पर्य– नगरपालिका क्षेत्र में समस्त भवनों, दुकानों और जो भूमि किराये पर हो, चाहे मालिक के स्वयं प्रयोग करता हो या किराये पर उठाया हो एवं समस्त दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों और दूसरी में इससे माल बनाने वाले भवनों व जमीनों को सम्मिलित किया जायेगा।
क्रमांक–3(अ) यह कर दो बराबर किस्तों में अदा करना होगा, जो कि 15 मई अथवा कर सूची की अन्तिम स्वीकृति के पश्चात् तीसवें दिन और 15 नवम्बर को देना होगा किन्तु शर्त यह है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी किस्त नियत तिथि से पूर्व भी जमा कर सकेगा।	(अ) पूर्ववत् पढ़ा जाये।
(ब) यदि यह कर उस तिथि से जिसकी देय है, एक मास के अन्दर अदा नहीं किया गया तो बकाया माना जायेगा।	
क्रमांक–4(अ) कोई व्यक्ति किसी भी समय अपना काम किसी भवन या भूमि के लिए बतौर स्वामी के कर की सूचना में अंकित कराने के लिए प्रार्थना कर सकता है और जब तक ऐसे प्रार्थना–पत्र को अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त कारण न हों, अस्वीकृति का विवरण लिखित में होगा, उसका नाम कर सूची में अंकित कर दिया जायेगा।	(ब) पूर्ववत् पढ़ा जाये।
(ब) यदि किसी जायदाद के स्वामित्व के बारे में संदेह न हो तो समिति निर्णय कर देगी कि किसका नाम बतौर स्वामी लिखा जाये और यह निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक कि सक्षम न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय न दे दें	(ब) पूर्ववत् पढ़ा जाये।

स्तम्भ–01 *(प्रस्तावित दरें)*	स्तम्भ–02 *(संशोधित दरें)*
क्रमांक–5(अ) यदि भवन तथा भूमि, जिस पर कर लग चुका हो अथवा कर लगने वाला हो, के स्वामित्व के अधिकारों का परिवर्तन हो तो वह व्यक्ति जो अपने अधिकारों का परिवर्तन करता है और वह व्यक्ति जिस के अधिकार परिवर्तन किये जाते हैं, ऐसे परिवर्तन के दस्तावेज के लिए लिखे जाने या पंजीयन करने, यदि पंजीयन किया गया है, के तीन मास के अन्दर इस अधिकार परिवर्तन की लिखित सूचना अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति को देगा।	क्रमांक–5(अ) अध्यक्ष नगर क्षेत्र समिति के स्थान पर अध्यक्ष नगरपालिका परिषद्, चम्पावत पढ़ा जाय।
(ब) यदि भवन तथा भूमि, जिस पर कर लग चुका हो अथवा लगने वाला हो, के स्वामी की मृत्यु हो गयी हो तो उत्तराधिकारी तीन मास के अन्दर उसकी सूचना नगर क्षेत्र समिति के कार्यालय को देगा।	(ब) तदैव
क्रमांक–6 ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके हम में परिवर्तन किया गया हो, अध्यक्ष के मांगने पर परिवर्तन का दस्तावेज, यदि कोई हो या उसकी प्रतिलिपियाँ जो इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1977 के अधीन प्राप्त की हो, दिखलायेगा।	क्रमांक–6 पूर्ववत् पढ़ा जाय।
क्रमांक–7(अ) वह व्यक्ति, जिसके ऊपर उत्तराधिकारी के नोटिस का उत्तरदायित्व उपरोक्त नियमों के अनुसार है, जायदाद का पिछला कुछ कर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाने के पूर्व जमा कर देगा।	क्रमांक–7(अ) तदैव
(ब) अधिकार पाने वाला व्यक्ति प्रत्येक जायदाद के दाखिल–खारिज के लिये ₹ 15 शुल्क कार्यालय में जमा करेगा।	(ब) तदैव
क्रमांक–8 दाखिल खारिज के प्रार्थना–पत्र अध्यक्ष/सचिव द्वारा स्वीकार किये जायेंगे किन्तु शर्त यह है कि यह किसी भी मामले की समिति के निर्णय के लिए रख सकते हैं।	क्रमांक–8 अध्यक्ष/सचिव के स्थान पर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी पढ़ा जाय।
क्रमांक–9 यह कर अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष/सचिव के देख–रेख में वसूल किया जायेगा।	क्रमांक–9 अध्यक्ष/सचिव के स्थान पर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी पढ़ा जाय।
क्रमांक–10 यदि कोई व्यक्ति, समिति द्वारा निश्चित तिथि से पूर्व कर अदा करेगा तो उसे शायद कर में 5% प्रतिशत छूट दी जायेगी और यदि किसी व्यक्ति पर बकाया रहेगा तो वह नगर क्षेत्र समिति अधिनियम, 1914 की धारा 20–21 के अन्तर्गत वसूल किया जायेगा। यह कर कार्यालय नगर क्षेत्र समिति में इंडोर प्रणाली से वसूल किया जायेगा।	क्रमांक–10 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–126 (1 एवं 2) के अन्तर्गत वसूल किया जायेगा, यह कर कार्यालय नगरपालिका क्षेत्र में इंडोर प्रणाली से वसूला जायेगा।

कर का विवरण

(1) नगर क्षेत्र समिति की सीमा के अन्दर गृहकर निर्धारण नियम इस प्रकार होगा– (अ) ₹ 600 की वार्षिक जमा पर, भवनकर से मुक्त रहेगा। (ब) ₹ 601 से अधिक पर भवनकर 5% की दर से लागू होगा।	(1) नगर पालिका परिषद्, चम्पावत की सीमा के अन्दर गृहकर निम्नानुसार लागू होगा– (अ) कराधान की दर भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य पर 10% की दर से लागू की जायेगी। (ब) यह कर भवन सम्पत्ति के स्वामी पर लगाया जायेगा।
(2) यह कर सम्पत्ति के स्वामी पर लगाया जाय।	(2) पूर्ववत्।
(3) यह कर सम्पत्ति द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार लगाया जायेगा।	(3) न0पा0अधि0 145(1) के अनुसार यह कर पाँच वर्ष में एक बार निर्धारित किया जायेगा
(4) कर निर्धारण की सूची तैयार हो जाने पर इसका प्रकाशन कार्यालय नगर क्षेत्र समिति द्वारा किया जायेगा और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूची प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के अन्दर आपत्तियों को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। ऐसी आपत्तियाँ, जिसकी सूचना आपित्तकर्ता को दे दी जायेगी।	(4) नगर क्षेत्र के स्थान पर नगरपालिका परिषद्, चम्पावत पढ़ा जाय।
(5) आपत्ति, यदि कोई हो, आपत्तिकर्ता को सूचना दिये जाने के बाद नियत दिनांक पर समिति द्वारा तय की जायेगी। आपत्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि, उसके अनुपस्थिति की दशा में आपत्तियों पर समिति द्वारा नियमानुसार एक तरफा निर्णय दिया जायेगा तथा सूची में ऐसे संशोधन किये जायेंगे, जो आवश्यक हो।	(5) पूर्ववत् ही पढ़ा जाय।
(6) जब समिति इस प्रकार की सूची को अन्तिम रूप दे चुकी हो तो यह सूची समस्त कागजात सहित पुष्टिकरण के लिये प्राधिकारी को या नियम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो तो जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ को भेज दी जायेगी।	(6) जब समिति द्वारा कर निर्धारण सूची का अन्तिम निर्धारण उपरान्त सूची अध्यक्ष को भी जायेगी।
(7) नियत प्राधिकारों को या कोई नियत प्राधिकारी नियुक्त न किया गया हो तो जिला मजिस्ट्रेट सूची की जाँच करके या तो उसी रूप में पुष्ट कर देंगे या ऐसे संशोधन करने का आदेश देंगे जो उसी राय में आवश्यक या न्यायोचित हो और उपर्युक्त संशोधन आदि किये जा चुकने पर उस सूची की पुष्टि कर देंगे तथा उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जो इस	(7) न0पा0 चम्पावत द्वारा उक्त सूची नगरपालिका अधिनियम की धारा 142 के अनुसार प्रकाशित की जायेगी उक्त पर नगरपालिका अधिनियम की धारा 143(1)(2) के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी। प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर निस्तारण किया जायेगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी जाँच अधिकारी, नगरपालिका

कर का विवरण

बात का प्रतीक होगा कि वे सूची पुष्टि कर दी गई है, तत्पश्चात् वह सूची समिति को लौटा दी जायेगी कि सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

(8) पुष्टि की गयी सूची पर यदि किसी करदाता को आपत्ति हो तो वह विज्ञापन की तिथि से 30 दिन के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि करदाता अपील करने से पूर्व निर्धारित कर अदा कर दें। अपील पर उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) नगर क्षेत्र के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर मजिस्ट्रेट महोदय अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण किया जायेगा।

(10) निम्नलिखित कर से मुक्त रहेंगे–

(अ) मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, इमाम बाडें, दरगाह, गुरूद्वारे, गिरजा घर आदि तथा खैराती संस्थाएँ, सिवाय वह भाग जो किराये पर चल रहें हों।

(ब) इस नगर क्षेत्र समिति के कर्मचारियों की इमारतें, जिसमें वह स्वयं रहते हैं।

(स) ऐसे भवन जिसमें भवन स्वामी स्वयं निवास करता है और भवन का कोई भाग किराये पर न हो, भी कर से मुक्त रहेगा।

दण्ड

यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा–299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए टाउन एरिया, चम्पावत, यह निर्देश देती है कि उपर्युक्त नियमावली के किसी उपनियम के उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो ₹ 1000 तक हो सकता हैं यदि ऐसा उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि अपराधी अपराध करता जा रहा है, तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो ₹ 10 प्रतिदिन हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
चम्पावत।

चम्पावत द्वारा किया जायेगा।

(8) पुष्टि की गयी सूची पर यदि किसी करदाता को आपत्ति हो तो वह विज्ञापन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, अपील से पूर्व निर्धारित कर जमा करना है, आपत्ति पर नियुक्त अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) नगरपालिका चम्पावत के अध्यक्ष एवं सदस्यों के भवन पर कर, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी/बोर्ड द्वारा करा रोपण किया जायेगा।

(10) निम्नलिखित कर से मुक्त रहेंगे–

(अ) पूर्ववत् से अतिरिक्त केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं आवासीय भवन।

(ब) नगर क्षेत्र समिति के स्थान पर नगरपालिका परिषद्, चम्पावत पढ़ा जाय।

(स) निरस्त किया जाता है तथा समस्त नगर क्षेत्रवासियों पर भवन का करा रोपण किया जायेगा।

दण्ड

टाउन एरिया कमेटी, चम्पावत के स्थान पर नगर पालिका परिषद, चम्पावत पढ़ा जाय।

ह0 (अस्पष्ट)

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
चम्पावत।

सूचना

मैंने अपना नाम दिगविजय सिंह नेगी से बदलकर नकुल नेगी कर लिया है। भविष्य में मुझे नकुल नेगी पुत्र श्री दर्शन सिंह नेगी के नाम से जाना जाए।

समस्त औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नकुल नेगी,
पुत्र श्री दर्शन सिंह नेगी,
निवासी–ग्राम किलोंण्डी पटवारी क्षेत्र सैकोट,
तहसील व जिला चमोली, उत्तराखण्ड।

सूचना

I have Changed Self/Family Members Names for all Future Pruposes Col. Ramesh Kumar Dogra to Col. Aamesh Ram Manhas, Anuradha Dogra to Anuradha Manhas (Wife), Sugandha Dogra to Sugandh Manhas (Daughter), Sanidhya Dogra to Sanidhya Manhas (Son).

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कर्नल आमेश राम मनहास,
पुत्र स्व0 बरीता राम,
निवासी–जी–एफ–3, आनन्द आर्च अपार्टमेंट,
ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट/498–भाग–8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।